इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 313] भोपाल, सोमवार, दिनांक 11 नवम्बर 2024—कार्तिक 20, शक 1946

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 नवम्बर 2024

क्र. 2730-2370379-2024-ई—चार.— विभागीय आदेश क्रमांक 2161—2199194—2024—ई—चार, दिनांक 13 सितम्बर 2024 द्वारा मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा विनियम 1961 के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग—एक एवं भाग—दो का आयोजन दिनांक 21 अक्टूबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक किये जाने हेतु अधिसूचना राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 13 सितम्बर, 2024 को प्रकाशित की गई थी.

2. **राज्य शासन द्वारा जारी उक्त आदेश/अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश राज्य स्थानीय निधि संपरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवा परीक्षा भाग—एक एवं भाग—दो, दिनांक 21 अक्टूबर 2024 से दिनांक 25 अक्टूबर 2024 के स्थान पर दिनांक 16 दिसम्बर 2024 से 20 दिसम्बर 2024 तक आयोजित की जावेगी.**

3. उक्त परीक्षा वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 02 जुलाई 1961 में निहित दिशा—निर्देशों के अध्यधीन आयोजित की जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रोहित सिंह, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2024.